



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072021-228436
CG-DL-E-23072021-228436

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2699]
No. 2699]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2021/श्रावण 1, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2021/SRAVANA 1, 1943

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2021

का.आ. 2905(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 3 के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 498(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

- (i) उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात्: -
"1. श्री नारायण तातु राणे, केन्द्रीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- अध्यक्ष-पदेन"
- (ii) उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात्: -
"2. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- उपाध्यक्ष-पदेन"

[फा.सं. 2/(01)/2019-एनबीएमएसएमई]

देवेन्द्र कुमार सिंह, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त

टिप्पणी – मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. संख्या 498(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2021 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2021

S.O. 2905(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) & (b) of Sub-section (3) of Section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), read with rule 3 of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the gazette notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O.498 (E), dated the 2nd February, 2021 namely:-

(i) In the said notification, - for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

“1. Shri Narayan Tatu Rane, Union Minister, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises - Chairperson-ex officio”

(ii) In the said notification, - for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

“2. Shri Bhanu Pratap Singh Verma, Minister of State, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises – Vice Chairperson - ex officio”.

[F.No. 2/ (01)/2019-NBMSME.]

DEVENDRA KUMAR SINGH, Addl. Secy. and Development Commissioner

Note. – The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O.498 (E), dated the 2nd February, 2021